SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, only one person may be allowed to speak on a particular point in the Zero Hour.

जिनका जीरो आवर है, उन सदस्यों में एक आदमी अगर बोलता है तो जल्दी खतम हो जाएगा । इसलिए जिनका पहला नाम है, उसे बोलने दीजिए ।...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, सबको बोलना है अपना अपना स्पेशल मेंशन, किसी सदस्य के साथ डिसक्रिमिनेशन न हो । चाहे 7 बजे या 8 बजे, सबको मौका मिलना चाहिए ।...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : श्री विष्णु कान्त शास्त्री ।

RE: ACTIVITIES OF HURRIYAT LEADERS

श्री विष्णुकान्त शास्त्री : (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । आपको और सारे देश को स्पष्ट ही है कि पाकिस्तान के आमंत्रण पर हुर्रियत कान्फ्रेन्स के जो नेता यहां आए, उन्होंने किस प्रकार भारत के विरुद्ध विष वमन किया । यह बताया गया कि वह निजाम मुस्तफा कायम करने के लिए कश्मीर में जेहाद कर रहे हैं और यह भी कहा गया कि सारी दुनियां के मुसलमान उनका समर्थन करें । सारे मुस्लिम देशों से उन्होंने यह अपील की कि वे इस जेहाद में उनका समर्थन करें । उन्होंने कहा कि चूंकि हिन्दुस्तान में मुसलमान अत्याचारित हैं, इसलिए हिन्दुस्तानी मुसलमानों से हम अपील नहीं कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि कश्मीर की आजादी के लिए भारत के खिलाफ हम लड़ाई करते रहे हैं । उन्होंने यह भी बताया कि वह विदेश जाना चाहते हैं ।

महोदय, हमें यह भी मालूम था कि अंग्रेज राजनयिकों के कुचक्र के अनुसार नेपाल में 11 से 14 अप्रैल तक वह एक सभा करने जा रहे थे पाकिस्तान के सहयोग से । यह तो खुशी की बात है कि हमारी सरकार के विरोध करने पर नेपाल ने उसको स्थगित कर दिया, लेकिन अभी हुर्रियत के कुछ नेता सऊदी अरबिया जा रहे हैं । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी कोई स्थाई नीति है इस विषय में ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस हुर्रियत कान्फ्रेन्स के नेताओं ने चरार-ए-शरीफ को मुक्त करने के लिए सारे कश्मीरियों से यह अपील की है कि वह वहां मार्च करें, क्या उनको देशद्रोही अधिकार दे सकते हैं कि हिन्दुस्तान के खिलाफ वह जो चाहे बोलें सारी दुनियां के मुस्लिम देशों में और दूसरे देशों में हमारे प्रति अपमान को इस सीमा तक ले जाएं ? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हमारी कोई स्थाई नीति है या नहीं ?

महोदय, हमने दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पास किया था कि कश्मीर के संदर्भ में एक ही बात विचार करने योग्य रह गई है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो अंश दबा रखा है वह कैसे स्वतंत्र होगा, वह कैसे स्वाधीन भारत का अविभाज्य अंग रहेगा । यही एक गंभीर समस्या शेष है । हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है, हमारे दोनों सदनों ने यह बात कही है फिर कैसे इन हुर्रियत के नेताओं को इस तरह गैर-जिम्मेदार और देशद्रोहिता से भरी बातें कहने का अधिकार देते हैं ? मैं सदन से यह अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए कि इन लोगों को विदेश जाने का पुनः अवसर न दिया जाए क्योंकि एक बार वह विदेश गए और उन्होंने केवल भारत विरोधी नीतियां कीं । मुझे बताया गया है कि सऊदी अरब से इन्होंने बहुत अर्थ-सहायता ली है, मैं जानना चाहता हूं कि उस अर्थ-राशि का क्या हुआ ? जो लोग भारतवर्ष को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो लोग कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, उनसे बात न की जाए, यह फारुख अब्दुल्ला ने भी कहा है । फारुख अब्दुल्ला के इस विचार पर भी हमको अपनी प्रसन्नता और सहमति प्रकट करनी चाहिए और हुर्रियत कांफ्रेंस के उन नेताओं को बिल्कुल कोई ऐसा अधिकार नहीं देना

चाहिए कि वह जो चाहें भारत के विरोध में कह सकते हैं ।

कहने की सीमा होती है, सहने की सीमा होती है

कुछ मेरे भी वश में, मेरा कुछ सोच-समझ अपमान करो

हम उन हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं से यह कहना चाहते हैं । लेकिन भारत सरकार चाहे सीमा का सवाल हो, चाहे अपमान का सवाल हो, सोती ही सोती है ।

मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर हमारी स्थाई और दूर-दर्शितापूर्ण नीति के अनुसार वह हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों पर कोई अंकुश लगाना चाहेगी या नहीं ? इस विशय पर वह हमें, इस सदन को और देश को अगर कोई जानकारी दे तो मैं बहुत उपकृत होऊंगा ।

अन्त में आपको पुनः धन्यवाद देने के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shri M. A. Baby.

RE. OBSERVATION MADE BY THE SUPREME COURT IN THE HAVALA TRANSACTION CASE

SHRI M. A. BABY (Kerala): Sir, thank you very much. Since the 28th I have been trying to raise the issue. The issue relates to the very strong words of condemnation used by the Supreme Court of our country with regard to the lackaisical, deliberate and surreptitious way in which the most prestigious investigating agency of our country in yester-years, the Central Bureau of Investigation nas been conducting the Rs. 65-crore havala transaction case involving the topmost politicians and bureaucrats of our country.

Sir, I consider this a very very serious matter because, over the years, there has been an overall feeling among the people, by and large, that the leadership of our country constituted by the political leadership, in its conduct, has been showing signs of colossal degeneration. Now, Sir, here is a case where the topmost leaders of the national political parties have been allegdly involved. The amount of Rs. 65 crores from abroad has been illegally transacted, shares of which have been accepted and taken by political leaden and the topmost bureaucrats. The case was handed over to the CBi in the year 1991 but till date, no significant progress has been made. Not only this, the Supreme Court pulled up the CBI for allowing the key accused in this case to abscond from the country. They could escape and the Supreme Court asked the head of the CBI, Mr Vijaya Rama Rao to appear before the Supreme Court and file an affidavit stating "whit is being done by the CBI to inquire-into this particular case in an appropriate manner."

Sir, the supreme Court made an observation dv:t senior officers of the CBI, who *an* supposedly investigating this case, are net fit to be there in the CBI. This is the observation made by the Supreme Court. I make this submission in the background of a number of similar observations made by a number of other judicial courts. For example, the country was rocked by the ISRO espionage case, originated from Kerala. Sir, the Kerala High Court had to pass strictures on the CBI with regard to the way in which the CBI was inquiring into this case and the High Court went to the extent of stating, "it appears that the CBI is appearing on behalf of the accused